

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010

जयपुर, दिनांक 28 MAY 2020

आदेश

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 29.08.2019 के तहत नगर पालिका/परिषद्/निगम/न्यास/प्राधिकरणों हेतु राज्य स्तरीय समिति भू-उपयोग परिवर्तन समिति का राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 के नियम 5 (ड) के अनुसार गठित समिति में नगर नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय के उचित नगर नियोजक को सदस्य नियुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकाय को निर्दिष्ट किये जाने हेतु।
5. सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक(एन.सी.आर)।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
9. संबंधित जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ/उप नगर नियोजक समस्त, राजस्थान, जयपुर।
10. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम